न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–23/2022

जितेन्द्र प्रसाद.....वादी

बनाम

विजय पटेल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.11.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 22.06.2022 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 22.06.2022 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 22.06.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा मद न0–04 नालिश के एराजी पर अपना हकियत घोषित करते हुये दखल कब्जें की सम्पुष्टि एवं अन्य दादरसी हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष उग्र एवं आक्रामक है तथा वादी पर तरह तरह से दवाब बना रहे है कि वादी को मद न0–04 नालिश के एराजी से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि पर बनावट खडा कर ले तथा मद न0–04 नालिश की भूमि को छोटे–छोटे टुकडे में बयनामा लिख दे। अतः वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति बनाये रखना इस न्यायालय के लिए अत्यंत जरूरी है तथा मुकदमा के दौरान वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति को यथावत बनाये रखने की जवाबदेही भी विद्वान न्यायालय की है। वादी वादग्रस्त भूमि से बेदखल हुआ तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा भूमि विक्रय होने से वादो की बहुलता भी बढेगी। वादी की नालिश को इस निषेधाज्ञा आवेदन का अंश माना जाये। नरसिंह महतो के दो लडको शिवशंकर प्रसाद एवं एकबाली महतो के बीच सन–1968 में जुबानी बंटवारा हुआ तथा शिवशंकर प्रसाद अपने हक हिस्से वाली आधी एराजी के दखल कब्जें में चले आये। शिवशंकर प्रसाद की मृत्यु के बाद शिवशंकर प्रसाद के वारिसान के बीच वर्ष–1988 में जुबानी बंटवारा हुआ। जुबानी बंटवारे के आधार पर कोरा बंटवारा तैयार किया गया। बंटवारा में शिवशंकर	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–23/2022</u>

जितेन्द्र प्रसाद.....वादी

बनाम

विजय पटेल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.11.2023	प्रसाद की विधवा असर्फी देवी एवं लडकी उर्मिला देवी ने अपने हिस्से की त्याग लडको के पक्ष में कर दिया। वादग्रस्त भूमि देवेन्द्र प्रसाद के हक हिस्से की एराजी नही है। किन्तु प्रतिवादी तृतीय पक्ष के द्वारा वादी के हक हिस्से वाली एराजी मद न0–03 नालिश के अंश भाग 04 कट्ठा के निस्वत दो गलत बयनामा सुरज कुमार पटेल एवं विजय कुमार पटेल के पक्ष में वजूद में ला दिया गया है। तथाकथित केतागणों को कोई दखल कब्जा नही हुआ है। विजय पटेल के द्वारा अपना गलत बयनामा दिनांक 21.12.2015 के आधार पर प्रतिवादी सं0–10 के पुत्र सत्यजीत कुमार को 01 कट्टा भूमि का बयनामा लिख दिया गया है। सत्यजीत कुमार को इस वाद में प्रतिवादी सं0–02 बनाया गया है। सुरज कुमार पटेल ने अपने गलत बयनामा के आधार पर कुल 02 कट्ठा भूमि का अलग–अलग बयनामा प्रतिवादी सं0–03 से प्रतिवादी सं0–08 के पक्ष में लिखा है जिसका कोई अमल दरामद नही हुआ है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधा की तुला भी वादी के पक्ष में है और प्रतिवादी प्रथम पक्ष को यदि वादी के दखल कब्जें में हस्तक्षेप करने से नही रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार करते हुये प्रतिवादी प्रथम पक्ष को वादग्रस्त भूमि मद न0–04 पर जाने तथा वादी के दखल कब्जें में हस्तक्षेप करने तथा कोई दस्तावेज लिखने तथा वर्तमान वस्तुस्थिति परिवर्तित करने से वाद के अंतिम निष्तारण तक रोका जाय। प्रतिवादी सं0–05 ता 08 की ओर से दिनांक 21.01.2023 को वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें वादी का आवेदन बेईमानी पूर्ण बताया गया तथा कहा गया कि वादी ने खाता–25 की कुल रकबा 01 बीगहा 18 कट्ठा 10 धुर के निस्वत दाखिल किया है। जिसमें वादी ने अपना हिस्सा 18 कट्ठा तथा अपना अन्य दो	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–23/2022</u>

जितेन्द्र प्रसाद.....वादी

बनाम

विजय पटेल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.11.2023	भाईयो को 10–10 कट्ठा होना बताया है तथा इसका कोई ठोस आधार तथा कारण भी नही बताया है। वादी के पास न तो प्रथम दृष्ट्या वाद है तथा न सुविधा का संतुलन ही वादी के पक्ष में है। वादी के बडे भाई देवेन्द्र प्रसाद ने अपने हक हिस्से की जमीन में से मवाजी 04 कट्ठा जमीन दो दस्तावेज से अलग–अलग व्यक्तियों को बेचा है तथा उन दो व्यक्तियों ने अलग–अलग सात दस्तावेज से यह जमीन प्रतिवादीगणों को बेचा है। जिनका दाखिल खारिज भी हो चुका है तथा लगातार दखल कब्जा में चलते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी दखल कब्जा में रहते हुये एक बडा घर नीचे सिमेंट, पीलर, टाट एवं करकट सेड बनाकर रहते आ रहे है तथा बाकी भूमि पर साग सब्जी की खेती खरीदगी के बाद से ही करते आ रहे है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा मद न0–04 नालिश के एराजी पर अपना हकियत घोषित करते हुये दखल कब्जें की सम्पुष्टि एवं अन्य दादरसी हेतु दाखिल किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्ट्या वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है? एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है? वादी के अनुसार वादग्रस्त भूमि उन्हें बंटवारा के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी देवेन्द्र प्रसाद वादी का अपना सहोदर भाई है। प्रतिवादी देवेन्द्र प्रसाद के द्वारा ही वादग्रस्त भूमि का विक्रय प्रतिवादीगणों को किया गया है। प्रतिवादीगणों द्वारा भी वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी देवेन्द्र प्रसाद के हिस्से की	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–23/2022</u>

जितेन्द्र प्रसाद.....वादी

बनाम

विजय पटेल एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.11.2023	जमीन बतायी गयी है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना दखल कब्जा बताया गया है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा खरीद किये जाने के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बताया गया है तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी भी क्रेता प्रतिवादीगणों के नाम से होना बताया गया है। वाद अभी प्रांरभिक अवस्था में है। वाद के इस स्तर पर किस पक्षकार का वादग्रस्त भूमि पर दखल कब्जा है, निर्णीत नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त निबंधित बयनामा दस्तावेज द्वारा प्राप्त होना बताया गया है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है। जब प्रथम दृष्टया वाद ही वादी के पक्ष में नही है तो सुविधा की तुला भी वादी की ओर जाती हुई प्रतीत नही होती है। अतः वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को अस्वीकार किये जाने से वादी को अपूर्णीय क्षति होना भी दर्शित नही होता है। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 22.06.2022 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 12.12.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	